फर्द अहकाम

—: आदेश :—

प्रार्थना पत्र पेश:— जरिये तहसीलदार सांगानेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 293/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.09.2024	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार सांगानेर ने एक प्रस्ताव न्यायालय में पेश किया। तहसीलदार सांगानेर ने प्रस्ताव में अंकित किया कि ग्राम केशोपुरा के खसरा नम्बर 760 रकबा 0.12 हैक्टेर में से 0.09 हैक्टेयर भूमि ट्रक टर्मिनल योजना के द्वितीय चरण में अवाप्त हुई। जिसके नवीन खसरा नम्बर 992/760 रकबा 0.09 हैक्टेयर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज हो गये। शेष खसरा सख्या 760 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में दर्ज रह गई। प्रार्थी रामस्वरूप शर्मा पुत्र बदरीनारायण शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी उक्तानुसार नक्शा शुद्ध करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मौका देखा गया। मौकानुसार व उपायुक्त जोन 8 जयपुर विकास प्राधिकरण व खसरा नम्बर 760 के खातेदारों के प्रार्थना पत्र अनुसार शुद्धि हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा पेश प्रस्ताव का अवलोकन किया जाने पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि खसरा नम्बर 992/760 एवं 760 का नक्शा मुताबिक पेश तहसीलदार सांगानेर द्वारा पेश प्रस्ताव अनुसार शुद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.11 15:26:44 IST
Reason: SelfAttested